

प्रारूप-झ (संलग्नक-9)
अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनाकरण

यूआईडी संख्या: UPFS/2019/10856/KSN/KUSHI NAGAR/114/CFO

दिनांक: 16-02-2026

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **GEETA INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **36MEE 63MEE,DAMWATIA TAPPA SANDI RAVINDRANAGAR,PADRAUNA** तहसील - **PADRAUNA** जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
A	3	0	12.10 mt.
BLACK B	3	0	11.50 mt.

तथा प्लॉट एरिया **11540.53 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **GEETA INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक व्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण **अग्निशमन अधिकारी** द्वारा दिनांक **20-02-2026** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **OMPRAKASH GUPTA** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि एवा जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate)(एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **23-02-2026** से **22-02-2031** तक **5** वर्ष के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन मं. स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

Note : AS PER RECOMMENDATION REPORT OF FSO KUSHINAGAR निम्न उपबन्धों के अधीन निर्गत है- 1-अर्ह अधिकर्ता /अग्निशमन अभियन्ता से 01वर्ष में न्यूनतम 02-बार फायर आडिट तथा विद्युत् ऑडिट कराकर प्रमाण-पत्र इस विभाग को प्रेषित करें। 2-भवन में स्थापित अग्निशमन उपकरणों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा। 3-भवन में किसी भी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थों का भण्डारण नहीं किया जायेगा। 4-अतिरिक्त भवन निर्माण/अधिभोग हेतु विभागीय स्वीकृति ली जाये। 5-नियत प्राधिकारी द्वारा भवन के स्वीकृत कराये गये मानचित्र के अनुसार समस्त प्रावधान रखना होगा। 6-प्रवेश/निकास मार्ग सदैव अवरोधमुक्त रखा जायेगा तथा लॉक नहीं किया जायेगा। 7-Ease of Doing Business तथा शा0-07.01.22 के अनुसार निर्गत है।



हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

Arun Kumar

63F826DE50AA10615D7E0C8F7CC174FE0F456B9D

23-02-2026

निर्गत किये जाने का दिनांक : 23-02-2026
स्थान : KUSHI NAGAR

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.